रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11022026-270035
CG-DL-E-11022026-270035

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 110]	नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 9, 2026/माघ 20, 1947
No. 110]	NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 9, 2026/MAGHA 20, 1947

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 2026

सा.का.नि. 116(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (वैज्ञानिक समूह 'ख') भर्ती नियम, 2000, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण में वैज्ञानिक 'बी' के पद पर भर्ती पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं अर्थात :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (वैज्ञानिक 'बी') भर्ती नियम, 2026 है।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .-** पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि .-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता .-** वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति .-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति .-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
वैज्ञानिक 'बी'	*44(2026) कार्यभार के*आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर– 10(56100-1,77,500 रुपये)।	चयन।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयुसीमा ।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
35 वर्ष की आयु से अधिक नहीं (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	आवश्यक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वनस्पति विज्ञान या उद्यान विज्ञान या रसायन विज्ञान (कार्बनिक) में मास्टर डिग्री। वांछनीय	लागू नहीं होता	दो वर्ष टिप्पण : प्रोन्नत और सीधी भर्ती किए जाने वाले दोनों के लिए दो वर्ष।

टिप्पण : आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए ।	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से वनस्पति विज्ञान या उद्यान विज्ञान या रसायन विज्ञान (कार्बनिक) में पीएचडी की उपाधि। **टिप्पण 1.-** अपेक्षित शैक्षिक अर्हताओं की विशिष्ट विद्या को भर्ती के समय अपेक्षानुसार विनिर्दिष्ट किया जाएगा। **टिप्पण 2.-** अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 3.- अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		सीधी भर्ती किए जाने वालों के लिए **टिप्पण :** परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रारम्भिक प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(10)	(11)	(12)	(13)
35% प्रोन्नति द्वारा; तथा 65% सीधी भर्ती द्वारा।	प्रोन्नति: (i) वैज्ञानिक 'बी' की प्रोन्नति वाली 90% रिक्तियां, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए) के वनस्पतिज्ञ द्वारा; और	विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-	प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

	(ii) वैज्ञानिक 'बी' की प्रोन्नति वाली 10% रिक्तियां, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपये) के पादप रसायनज्ञ द्वारा, जिसके न हो सकने पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपये) के वनस्पतिज्ञ द्वारा, जिन्होंने संबंधित श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो और वैज्ञानिक कार्यक्रम तथा सामान्य प्रशासन पर दो सप्ताह का अनिवार्य विभागीय प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया हो। टिप्पण 1 : इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर-7 (44,900-1,42,400 रुपए) में वनस्पतिज्ञ या पादप रसायनज्ञ के विद्यमान पदधारियों के लिए पात्रता सेवा तीन वर्ष की बनी रहेगी। टिप्पण 2 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/ पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चत्तर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा कि अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	(1)अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग – अध्यक्ष (2)संयुक्त सचिव, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के प्रभारी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय – सदस्य (3)निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण – सदस्य विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :- (1)संयुक्त सचिव, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के प्रभारी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय – सदस्य (2)निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय – सदस्य (3) निदेशक, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण – सदस्य	

[फा. सं. 01/01/2021-सीएसबी]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February, 2026

G.S.R. 116(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Botanical Survey of India, (Scientist 'B') Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Scientist 'B' in Botanical Survey of India under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, namely:-

1. **Short title and commencement**. – (1) These rules may be called the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Botanical Survey of India, (Scientist 'B'), Recruitment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.–** The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, other qualifications, *etc*.** – The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**. – No person, -

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the said post:

   Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of post.	Classification.	Pay level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Scientist 'B'.	44* (2026) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial.	Level – 10 (Rs. 56100-177500).	Selection.

Age limit for direct recruits	Educational and other Qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(6)	(7)	(8)	(9)
Not exceeding Thirty Five Years (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with instructions or orders issued by Central Government) **Note.–** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Union Public Service Commission.	Essential Masters Degree in Botany or Horticulture or Chemistry (Organic) from a recognised University or Institute. **Desirable** Doctorate in Botany or Horticulture or Chemistry (Organic) from a recognised University or Institute. **Note 1.–** The particular discipline in the educational qualification required shall be specified according to the requirement at time of recruitment. **Note 2.–** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified. Note 3.– Qualifications regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission, for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Union Public Service Commission, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not Applicable.	Two Years **Remark:** Two years for both promotees and direct recruits. Note for direct recruits: There shall be a mandatory induction training of at least two weeks duration for successful completion of the probation as prescribed by the Central Government.

Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(10)	(11)	(12)	(13)
35% by promotion; and	Promotion:	Departmental Promotion	Consultation with the Union

65% by direct recruitment.	(i) Ninety percent of the promotional vacancy of Scientist-B by Botanist (Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)); and (ii) Ten percent of the promotional vacancy of Scientist-B by Plant Chemist (Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)) failing which by Botanist (Level-7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400)), with five years regular service in the respective grade and successful completion of mandatory departmental training of two weeks on scientific programme and general administration. **Note 1.–** The eligibility service shall remain to be three years for the existing incumbents holding the post of Botanist or Plant Chemist in Level 7 in the pay matrix (Rs. 44900-142400) on regular basis on the date of notification of these rules. **Note 2.–** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	Committee (for considering promotion) consisting of: (1) Chairman or Member of the Union Public Service Commission - Chairman (2) Joint Secretary, Ministry of Environment Forest and Climate Change, in charge of Botanical Survey of India - Member (3) Director, Botanical Survey of India - Member Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of: (1) Joint Secretary, Ministry of Environment Forest and Climate Change, In charge of Botanical Survey of India – Chairman (2) Director or Deputy Secretary (Administration), Ministry of Environment Forest and Climate Change – Member (3) Director, Botanical Survey of India – Member	Public Service Commission is necessary on each occasion.

[F. No. 01/01/2021-CSB]

VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2026.02.11 11:25:30 +05'30'